प्रेस नोट पुलिस मुठभेड दिनांक 17-01-2026 थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा लूट/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्तों 01. रवि उर्फ रविया पुत्र भगवान दास व 02. किताब सिंह पुत्र रघुवीर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- **पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्त रवि उर्फ रविया पुत्र भगवान दास व किताब सिंह पुत्र रघुवीर पैर में गोली लगने से हुए घायल......**
- **अभियुक्तगण थाना क्षेत्र टूण्डला में दिनाँक 08-09-2025 को हुई चोरी से सम्बन्धित थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 399/25 में वांछित अभियुक्त हैं ।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा, 02 खोखा कारतूस, चोरी/लूटे गये 10,020/- (10 हजार बीस रुपये) व 01 ऑटो (बिना नम्बर प्लेट) बरामद ।**
- **अभियुक्त रवि उर्फ रविया के विरुद्ध जनपद एटा, कासगंज, हाथरस एवं जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों में गम्भीर धाराओं में करीब डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं ।**
- **अभियुक्त किताब सिंह के विरुद्ध जनपद एटा व जनपद आगरा के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17-01-2026 को थाना टूण्डला पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि निहाल सिंह की पुलिया बाईपास के पास 01 बिना नम्बर के प्लेट ऑटो खड़ा है जिसमें 02 संदिग्ध व्यक्ति हैं जोकि जनपद में चोरी / लूट की घटनाओं को अंजाम देनें की फिराक में हैं । उक्त सूचना पर थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर दबिश दी गयी । दबिश के दौरान थाना टूण्डला पुलिस टीम को 01 ऑटो दिखाई दिया । थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा उक्त ऑटो तथा ऑटो में सवार संदिग्ध व्यक्तियों की घेराबंदी की गयी । खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर उक्त संदिग्ध व्यक्ति ऑटो से उतर कर पुलिस टीम पर अवैध असलहा से जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे । थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लग गयी । अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे (315 बोर), 03 जिंदा

कारतूस (315 बोर), 02 खोखा कारतूस (315 बोर), चोरी किये गये 10,020/- रुपए एवं 01 ऑटो (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्तों की पहचान 01.रवि उर्फ रविया पुत्र भगवान दास निवासी हिन्दु नगर झुग्गी बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद एटा व 02.किताब सिंह पुत्र रघुवीर निवासी हिन्दु नगर झुग्गी बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद एटा के रुप में हुई है। अभियुक्तगण रवि उर्फ रविया पुत्र भगवान दास व किताब सिंह पुत्र रघुवीर दिनांक 08-09-2025 को थाना टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 399/25 धारा 303(2) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. रवि उर्फ रविया पुत्र भगवान दास निवासी हिन्दु नगर झुग्गी बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद एटा।
2. किताब सिंह पुत्र रघुवीर निवासी हिन्दु नगर झुग्गी बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद एटा।

अभियुक्त रवि उर्फ रविया पुत्र भगवान दास निवासी हिन्दु नगर झुग्गी बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद एटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मुकदमा अपराध संख्या 713/15 धारा 22/8 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
2. मुकदमा अपराध संख्या 14/16 धारा 41, 109 सीआरपीसी कोतवाली नगर एटा GRP कोतवाली नगर जनपद एटा।
3. मुकदमा अपराध संख्या 680/16 धारा 379 आईपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
5. मुकदमा अपराध संख्या 482 / 2023 धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम सिटी जनपद एटा।
6. मुकदमा अपराध संख्या 227 / 2016 धारा 41, 109 सीआरपीसी थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।
7. मुकदमा अपराध संख्या 20/ 23 धारा 21/ 22 एनडीपीएस एक्ट थाना कासगंज जनपद कासगंज।
8. मुकदमा अपराध संख्या 38/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कोतवाली जनपद एटा।
9. मुकदमा अपराध संख्या 1107 /12 धारा 308/323/325/336/504/506 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद एटा।
10. मुकदमा अपराध संख्या 882 /2019 धारा 379,411 थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
11. मुकदमा अपराध संख्या 539/ 23 धारा 379 411 थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ।
12. मुकदमा अपराध संख्या 541/23 धारा 3/25 थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ।
13. मुकदमा अपराध संख्या 286/ 19 धारा -60 एक्साइज एक्ट थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।

अभियुक्त किताब सिंह पुत्र रघुवीर निवासी हिन्दु नगर झुग्गी बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद एटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मुकदमा अपराध संख्या 683 / 16 धारा 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण एक्ट 1984
 धारा 07 दंड विधि अधिनियम 1932,147,148,323,324,332,336,342,353,427 भादवि0 कोतवाली नगर जनपद एटा।
2. मुकदमा अपराध संख्या 755/ 2017 धारा 380,457 आईपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा
3. मुकदमा अपराध संख्या 610/ 22 धारा 8/ 21, 37 एनडीपीएस एक्ट थाना हरी पर्वत जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अवैध तमंचे 315 बोर।
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 03 जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. मु0अ0सं0 399/25 धारा 303(2) बीएनएस0 से सम्बन्धित चोरी किये गये 10,020/- (10 हजार 20 रुपये)।
5. 01 ऑटो (बिना नम्बर प्लेट)।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 जयचन्द्र बाबू शर्मा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 आदेश कुमार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 प्रशान्त कुमार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
5. है0कां0 1086 नेत्रपाल सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
6. है0कां0 681 हरवेन्द्र कुमार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
7. है0कां0 20 राजेन्द्र सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
8. है0कां0 231 रामवीर सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
9. कां0 1204 पुष्पेन्द्र कुमार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
10. कां0 62 आशीष ठेनुआ थाना टूण्डला जपनपद फिरोजाबाद।